बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग —1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि 24 जुलाई, 1978 ई० ।

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर :—बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 4 II के परन्तुक के अन्तर्गत सभा-मेज पर प्रश्नों के लिखित उत्तरों का रखा जाना ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :—

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—13 ... ... 1—4

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :—1299, 1311, 1318, 1319, 1939, 1940, 1941, 1951, 1973 1974, 2014, 2065 । ... 5—36

परिशिष्ट :—1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर).. .. .. .. 37—40

परिशिष्ट :—2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर).. .. .. .. 41—134

दैनिक-निबंध 135

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

से दिनांक 3 फरवरी 1978 को निम्नलिखित सामग्रियाँ जब्त की गयी हैं :—

———	नीलाम पत्र-राशि ।	जब्त सामान का नाम ।
	रु०	
(1) श्री रामकृष्ण हेम्ब्रम, ग्राम वाली डीह ।	800.75	(1) धान क्वींटल—1 (2) कांसा थाली—2 (3) कांसा ओटा—1
(2) श्री रवि मुन्डा, ग्राम फुलझोर ।	535.05	(1) गाय—1 (2) बकरी—3 (3) कांसा लोटा—1 (4) कांसा थाली—2 (5) कांसा कटोरा बड़ा—2 (6) कांसा कटोरा छोटा—3 (7) धान—10 किलो

सामग्रियों में किसी का बैल जब्त नहीं किया गया है। उपर्युक्त सामग्रियों को बकाये माल की वसूली के क्रम में किया गया है। उनके पास 1967-68 का ऋण बकाया था जिसे वसूल नहीं होने पर मुकदमा में डिग्री के आधार पर नीलाम-पत्र जारी किया गया है। सामग्रियों की जब्ती ऋण की वसूली नहीं होने पर न्यायालय द्वारा निर्गत जब्ती वारंट पर की गयी है।

———

प्रधानाध्यापक के रिक्त पद हेतु कार्रवाई

प्र-61. **श्री तेज नारायण झा**—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के सतरह राजकीय संस्कृत हाई स्कूल के अन्तर्गत पाँच वर्षों से लगातार आठ प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है, यदि हां, तो सरकार इसके लिये कौन-सी कार्रवाई शीघ्र करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग—राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद पाँच वर्षों से नहीं बल्कि 4 वर्षों से रिक्त है। इन पदों में से दो पदों

पर तत्काल प्रोन्नति हो चुकी है। शेष पदों पर प्रोन्नति के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

श्री सिंह के विरुद्ध कार्रवाई।

सह-13. श्री दिनेश्वर प्रसाद—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि श्री कृपा नारायण सिंह, उप-निबंधक, सहयोग समितियाँ, भोजपुर, रोहतास विगत चार वर्षों से आरा में पदस्थापित हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि संडवार जाँच समिति उक्त पदाधिकारी पर आरोप को सही सिद्ध किया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री (सहकारिता-विभाग)—(1) श्री कृपा नारायण सिंह तीन वर्ष 11 महीने से भोजपुर पैकेज, आरा के उप-निबन्धक, सहयोग समितियाँ के पद पर पदस्थापित हैं।

(2) संडवार जाँच समिति नहीं संगठित की गयी थी, परन्तु भूतपूर्व संयुक्त निबन्धक श्री संडवार ने कुछ आरोपों के संबंध में जाँच की थी और उनके जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री कृपा नारायण सिंह को एक चेतावनी दी गयी थी।

(3) उपर्युक्त खंड (2) के उत्तर के पश्चात् श्री कृपा नारायण सिंह पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

ऋण की स्वीकृति।

सह-6. श्री दुर्गादास राठौर—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, वस्तवारा, जिला दरभंगा के ऋण के लिये जिला सहकारिता पदाधिकारी (कृषि) ने सहकारिता निबंधक, पटना के यहाँ आवश्यक कागजात भेजा जिसका पत्र संख्या 259, दिनांक 10 फरवरी 1976 है। यदि हाँ, तो ऋण की स्वीकृति आज तक नहीं मिलने का क्या कारण है ?